न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2019/00147 दर्ज तिथिः–22.10.2019

1. दशरथ सिंह पुत्र मूलसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

............प्रार्थी

बनाम

2. बलबीर पुत्र मूलसिंह बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री गोपाल शर्मा।
अप्रार्थीः– पुष्पेन्द्र शर्मा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–15.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र [illegible] न भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का संक्ष[illegible] प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन [illegible] कि प्रार्थी [illegible] हाल आराजी खसरा नम्बर 590 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर [illegible] है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की सालिम आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:48 IST
Reason: SelfAttested

आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का दिनांक 27.06.2016 को सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 27.06.2016 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। शपथ–पत्र पेश है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर अवगत कराया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी आराजी के खसरों पर पत्थरगढ़ी की जाती है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/1015 दिनांक 16.01.2023 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसके पटवार हल्का क्यारा ने मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 तैयार कर प्रस्तुत की गई।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 27.06.2016 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बरान पर पत्थरगढी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण [illegible] प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:48 IST
Reason: SelfAttested

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075–78 वाकै ग्राम भीकमपुरा में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार थानागाजी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम भीकमपुरा के अंकित इन्द्राज के अनुसार प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 27.06.2016 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार थानागाजी के माध्यम से हल्क[illegible] से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। स[illegible] द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 591 गै0 मु0 चाह की मुश्तकिल हद मानकर जरीब चलाकर खसरा नम्बर 590 रकबा 1.01 का सीमाज्ञान कराया [illegible] के पर उपस्थित लोगों के समक्ष सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को संतुष्ट किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:48 IST
Reason: SelfAttested

के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा न0 हाल आराजी खसरा नम्बर 590 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी से लगती हुई आराजी के पड़ोसी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए विधिक उपबंधानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 15.05.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:48 IST
Reason: SelfAttested